आयोजनागत

संख्या-25/2016/841/18-4-2016-27(विविध)/15

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 02 जून,2016

विषय-उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हेतु कार्पस फण्ड बनाये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ के पत्र संख्या-01/उ0प्र0 नि0सं0 परि0/2016-17 दिनांक 04-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्यात सम्वर्धन परिषद की स्थापना हेतु कार्पस फण्ड बनाये जाने के लिए रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-1609/18-4-2015-27(विविध)/15, दिनांक 02 नवम्बर,2015 में निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपर्युक्त धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जिसकी वापसी की अवधि 10 (दस) वर्ष होगी।

4- कार्पस फण्ड के लिए प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र (राष्ट्रीयकृत) के बैंको में निवेशित किया जायेगा।

5- कार्पस फण्ड निवेशित करते समय उपरोक्त बैंकों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न निवेश योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हुए उस योजना में निवेश किया जायेगा जिस योजना के अंतर्गत परिषद को ब्याज के रूप में अधिकतम् धनराशि प्राप्त हो।

6- कार्पस फण्ड का ब्याज त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक आधार पर परिषद द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अवधि के सम्बंध में विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जायेगा कि किस अवधि पर ब्याज लेने से परिषद को अधिकतम् धनराशि प्राप्त हो सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- कार्पस फण्ड की मूल धनराशि को गिरवी रखकर परिषद द्वारा कहीं से ऋण नहीं लिया जा सकेगा और न ही इस धनराशि पर ओवर ड्राफ्ट की सुविधा ली जायेगी।

8- डिपाजिट सम्बंधी रसीदें परिषद के पास रहेंगी जिससे कि उनका समय-समय पर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

9- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष प्राप्त व्याज की धनराशि को व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा

10- उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-आयोजनागत-09-उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हेतु कार्पस फण्ड-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1**/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-25/2016/841(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)/सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।

5-सदस्य सचिव, उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।

6- संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोतसाहन ब्यूरो, लख्नऊ।

7-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in